क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2012–13

कार्यक्रम का नामः – अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की वार्षिक मरम्मति

बजट/एफ०एम०आर० शीर्षः– Annual Maintenance Grants - APHC

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्याः – B: 3.2.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकत्तम): – आवंटित राशि से पूरे भवन के साथ प्रसवगृह, शल्यकक्ष, सभी वार्ड, शौचालय, रसोईघर आदि की मरम्मति तथा रंगाई–पोताई, दरवाजा खिड़की की मरम्मति एवं इसका रंग–रोगन, विधुत प्रतिष्ठान, जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन में आवश्यकतानुसार मरम्मति कराया जाना चाहिए। परिसर का विकास कार्य भी कराया जा सकता है।

नवसृजित एवं नवनिर्मित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों में इसकी आवश्यकता नही होगी क्योंकि ये भवन हाल फिलहाल में बनाये गये है। इनके लिए आवंटित राशि का उपयोग परिसर विकास, पहुचपथ तथा अन्य आवश्यक मरम्मति कार्य में किया जाना चाहिए।

इकाई राशि (रू० में) : – पचास हजार प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वा0 केन्द्र तथा कमिटेड व्यय की राशि

वित्तीय दिशा निर्देश : – यह कार्य जिला के किसी भी कार्यकारी एजेन्सी से रोगी कल्याण समिति द्वारा सक्षमता के अनुसार कराया जा सकता है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन का तकनिकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर इसमें कठिनाई हो तो किसी अन्य अभियंत्रण विभाग/निगम से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है। तद्नुसार रोगी कल्याण समिति सक्षमतानुसार प्रशासनिक स्वीकृति देगी। प्रशासनिक अनुमोदन की प्रति उक्त प्राक्कलन की प्रति के साथ जिला के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल को अवश्य दिया जाना चाहिए। वित्तीय नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

गत वर्ष आवंटित राशि से व्यय बहुत कम हुआ है। अतः समानुपातिक आवंटन दिया जा रहा है।

त्रैमासिक वित्तीय लक्ष्य या उससे अधिक व्यय किया जाना चाहिए ताकि आवंटित राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में हो सके। सिविल सर्जन एवं उपाधीक्षक रेफरल अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इसके लिए जवाबदेह होगें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नामः– श्री आर0 बी0 पी0 यादव, भ0प्र0से0 (से0नि0)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : – 9470003009 /0612–3263162

SKumar